न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उप जिला मजिस्ट्रेट शाहपुरा जिला जयपुर

पीठासीन अधिकारी :- श्री मनमोहन मीना, आर ए एस

वाद पत्र संख्या :- 52/2022

उनवान

1. सुरजनसिंह पुत्र हरसहाय सिंह कौम राजपूत निवासी धानोता तहसील शाहपुरा

प्रार्थी

बनाम

1.राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, तहसील कार्यालय शाहपुरा जिला जयपुर।
2 गिरवरकंवर पत्नि जितेन्द्र सिंह
3 मधु कंवर पत्नि दीपेन्द्रसिंह
जाति राजपूत निवासी 298 सुमेरनगर आईसीजी कॉलेज के पास एसएफएस मानसरोवर जयपुर
4 काना पुत्र बिरदू जाति अहीर निवासी धानोता तहसील शाहपुरा

अप्रार्थीगण

प्रा0पत्र बाबत पत्थरगढी अन्तर्गत धारा 128 एलआरएक्ट 1956

निर्णय दिनांक: 18.10.2022

प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है। प्रार्थी के द्वारा जरिये अधिवक्ता प्रार्थना पत्र पेश किया गया है कि ख.नं. 698 रकबा 2.65 है0, वाके ग्राम धानोता तहसील शाहपुरा प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि स्थित है जिसका उप तहसीलदार अमरसर के आदेश क्रमांक/सीमा/ 2022/ 1436 दिनांक 25.5.2022 की पालना में दिनांक 25.5.2022 को पडौसी खातेदारान व ग्राम के मौतबिरान की उपस्थिति में सीमाज्ञान किया गया है। उक्त सीमाज्ञान के आधार पर प्रार्थी अपनी भूमि का मुताबिक सीमाज्ञान के पत्थरगढी करवाना चाहता है।
प्रार्थी के प्रार्थना पत्र पेश होने पर रिपोर्ट सरिस्ता ली जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस सूचित किया गया तथा प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया । अप्रार्थीगण बावजूद सूचना के कोई उपस्थित नहीं हुए । वकील प्रार्थी की एकपक्षीय बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए पत्थरगढी किये जाने का निवेदन किया ।

हमने वकील प्रार्थी की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का ध्यानपूर्वक मनन किया । प्रकरण में पाया गया कि प्रश्नागत आराजी का दिनांक 25.5.2022 को पटवारी हल्का के द्वारा सीमाज्ञान किया गया है प्रार्थी के द्वारा अपनी भूमि की सुरक्षा एवं आस पास के खातेदारों द्वारा सीमाचिन्ह के अभाव में सींव डोल काटने से आये दिन होने वाले विवादों की वजह से पत्थरगढी करवाना चाहता है। पत्थरगढी करवाना एक खातेदार/काश्तकार का अधिकार है तथा इसके द्वारा अपनी सीमा के विवाद, सीमा दबाना आदि अनावश्यक मुकदमेबाजी से बचाव का यह एक उपाय है जिसके अभाव में काश्तकार अपनी सीमा चिन्ह से सुरक्षा आदि उपाय नहीं कर सकते है।

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र बाबत पत्थरगढी का स्वीकार किया जाकर तहसीलदार शाहपुरा को आदेशित किया जाता है कि प्राथीगण की प्रश्नागत कि ख.नं. 698 रकबा 2.65 है0, वाके ग्राम धानोता तहसील शाहपुरा का पडौसी खातेदारान को सुचित करते हुए उनकी उपस्थिति में मुताबिक सीमाज्ञान दिनांक 25.5.2022 के अनुसार नियमानुसार पत्थरगढी करवावे । तदानुसार तहसीलदार शाहपुरा को आदेश जारी हो ।
निर्णय आज दिनांक 18.10.2022 को सरे इजलास सुनाया गया ।

उपखण्ड अधिकारी
उप खण्ड अधिकारी शाहपुरा (जयपुर) राजस्थान
शाहपुरा जिला जयपुर